675 अप्रासंगिक कानून व नियम होंगे कम

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग में होगा सुधार, उद्योग संघों के सुझावों पर होगा विचार

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व प्रगति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब न केवल व्यवसायों, बल्कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर भी विनियामक अनुपालनों के भार (रेग्यूलेटरी कम्प्लायंस बर्डन) को कम करने के लिए कार्यवाही तेज कर दी है।

- इन्वेस्ट यूपी स्तर पर टास्क फोर्स गठित

इस संबंध में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी-इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से बुधवार को यहां योजना भवन में विनियामक अनुपालन भार को कम करने पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें 675 विनियामक अनुपालनों (कानूनों व नियमों) को कम या युक्तिसंगत करने के लिए चिह्नित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य सभी राज्यों में परिभाषित अनुपालन मापदंडों, जैसे- नवीनीकरण, निरीक्षण, पंजीकरण और रिकॉर्ड, डिस्प्ले की आवश्यकता, रिटर्न फाइल करने, निरपराधीकरण और निरर्थकता आदि पर आधारित विनियामक अनुपालनों के भार को कम करना है तथा फिजिकल टचपॉइंट्स को कम करते हुए अप्रासंगिक कानूनों व नियमों को समाप्त करने, विलय करने अथवा संख्या कम करना है। प्रदेश सरकार ने अब तक कुल 675 अनुपालनों कम करने के लिए चिह्नित किया है। इनमें से 195 अनुपालन प्रथम चरण में और 480 अनुपालन दूसरे चरण में कम किये जायेंगे। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लगभग 80 अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने कहा कि उद्योगों व उद्यमों के लिए व्यवसाय में सुगमता में सुधार के अतिरिक्त अब सरकार नागरिक-केंद्रित सेवाओं और अनुपालनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि जीवनयापन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) में सुधार हो सके। अरविन्द कुमार ने विभागों से युद्धस्तर पर इस पर कार्यवाही करने का आह्वान किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अनुपालन वाले राज्यों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है। डीपीआईआईटी का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि राज्यों और उनके विभागों के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है ताकि उन अनुपालनों को चिह्नित और अपलोड किया जा सके जिन्हें कम किया जा सकता है। इस पोर्टल में मुख्य सचिव के लिए प्रत्यक्ष समीक्षा और निगरानी के लिए डैश बोर्ड होगा। कम किये जाने वाले अनुपालनों को चिह्नित करने के तकनीकी पहलुओं और प्रक्रिया को नोडल अधिकारियों को विस्तार से बताया गया। सचिव औद्योगिक विकास तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी श्रीमती नीना शर्मा ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा 26 विभागों से संबंधित लगभग 120 अनुपालनों को पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, किंतु अब विभागीय नोडल अधिकारियों को इस कार्य को करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिये जायेंगे। इस कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण 31 मार्च को और दूसरा चरण 15 अगस्त, 2021 को समाप्त होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के निष्पादन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआईआईटी को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

विशेष सचिव, औद्योगिक विकास एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी डॉ. मुथुकुमारसामी बी ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही सीईओ, इन्वेस्ट यूपी की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन कर दिया है, जिसमें विशेष सचिव, विधायी, विशेष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), प्रबंध निदेशक, पिकप सदस्य और एसीईओ, इन्वेस्ट यूपी सदस्य सचिव हैं। कार्यशाला में कई विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया।